न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्या— 114 / 2013 दायर दिनांकः—06.08.2013

जीसीएमएस नं0 2013 / 00670

1. प्यारेलाल उम्र 47 साल } पिसरान—स्व0 भोलाराम, जाति—धाकड,
2. तुलसी उम्र 42 साल } निवासी—झारेडा रोड रेल्वे लाईन के पास, हिण्डौन

———सायलान

बनाम

1. किशोरा उम्र 62 साल पत्नि धनीराम जाति धाकड निवासी झारेडा रोड, हिण्डौन जिला करौली (राज0)

———गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री रमेश चंद गुप्ता अधिवक्ता सायल
2. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नं0 3623 रकवा 0.02, 3624 रकवा 0.02, 3625 रकवा 0.31, 3626 रकवा 0.31, 3652 रकवा 0.07, 3653 रकवा 0.35, 3654 रकवा 0.35, 3658 रकवा 0.34, 3713 रकवा 0.11, 3714 रकवा 0.34, 3715 रकवा 0.23 कुल किता 11 कुल रकवा 2.45 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन स्थित है। उक्त आराजीयात की खातेदारी सायलान के नाम है चानि आराजीयात के सायलान खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं इसलिए प्रथम दृष्टया केस सायलान का बखूबी साबित है।

आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र से सायलान के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं था और ना ही आज दिन है। उक्त आराजीयात पर बजुमाने अन्तर्गत से सायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है और सायलान ही उक्त आराजीयात को साल दर साल फसल काश्त करते एवं दरोह करते चले आ रहे हैं तथा सरकारी लगान भी सायलान अदा करते चले आ रहे हैं। इसलिए सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र की ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स हिण्डौन में रजिस्टर्ड गिरवी रखकर किसान केडिट कार्ड ऋण भी ले

रखा है। जिसका नोट जमाबन्दी में इन्द्राज है इससे भी यह स्पष्ट है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र से सायलान के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं था ना ही आज दिन है। इस साल सायलान ने उपरोक्त भूमि में बाजरे की फसल काश्त की है जिसका नलाव कुडपाव भी सायलान द्वारा ही किया गया है। फसल बाजरा मौके पर करीब एक डेड फुट उँची हो चुकी है।

प्रतिवादिया गैरसायला नं0 1 सायलान की बहिन अवश्य है। जिसकी शादी आज से करीब 35–40 साल पूर्व कर दी और अपनी ससुराल रिहायश कर रही है तथा समय समय पर सायलान व उनके पिता ने भात जामना त्यौहार इत्यादि आदि थे एवं समय पर गैरसायला का सम्मान किया यानि सायलान ने गैरसायला को गैरसायला का हक जुबानी तोर पर दे दिया था इस कारण आराजी मुतजिका मद नं0 2 दर0 का नामान्तकरण ब मौजूदगी गैरसायला सायलान के नाम खुला था उस समय सायलान के नाम खुला था उस समय गैरसायला ने कोई एतराज नहीं किया इस कारण गैरसायला अपने कन्डक्ट से एस्टोप्ड है इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादी नं0 2, 3 (वादपत्र) ने अपना हक सायलान के हक में त्याग कर दिया और इस बावत् इकरारनामा भी सायलान के हक में तहरीर तकमील कराकर अपने अपने निशानी कर हवाले सायलान कर दिये।

कस्बा हिण्डौन में जमीनों की कीमत काफी बढ चुकी है इस कारण गैरसायला के दिल में बदयान्ति आ गई है और वह सायलान को झूठे मुकदमेवाजी में फसाकर येनकेन प्रकारेण आराजी मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र पर लाठी की ताकत से कब्जा करना चाहती है जबकि गैरसायला का वादग्रस्त से कोई संबंध या कब्जा नहीं है।

बाका दिनांक 04.08.2013 को सुबह 9–10 बजे का है कि गैरसायला अपने साथ असामाजिक व्यक्तियों को साथ लेकर सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र पर आयी और सायलान से बोली कि आज में लाठी की ताकत से उक्त आराजी पर कब्जा करके छोडूंगी तब सायलान ने गैरसायला से हाथ जोडकर निवेदन किया है कि गरीब आदमी हैं ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करो आराजीयात की खातेदारी हमारे नाम है मगर गैरसायला अजखुद मानेस को तैयार नहीं है और काफी लोगों द्वारा समझाने पर सायलान से यह कहकर चली गयी कि अिब में एक दो रोज में दुबारा आकर सारी जमीनों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करके छोडूंगी। यदि गैरसायला अपने नापाक इरादे में सफल हो गयी तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति द्रव्य से संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि गैरसायला को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर के लिए पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं0 3623, 3624, 3625, 3626, 3652, 3653, 3658, 3713, 3714, 3715 वाके हिण्डौन सायलान के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से कराये। सायलान को पूर्व की भांति शांति पूर्वक काश्त करने देवे बेदखल नहीं करे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सालान के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं जबाव पेश किया जो निम्नानुसार हैः—

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 में दावा पेश करना स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 में आराजीयात होना स्वीकार है लेकिन उसमें खातेदारी सायलान ने गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करायी है। इसलिये सायलान का प्रथम दृष्टया केस किसी भी प्रकार से साबित नहीं है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 अस्वीकार है। बाते गलत दर्ज की है। गैरसायला सायलान की खास बहन है उसे नामांतकरण खुलवाते समय बईमानी व कपट पूर्ण तरीके से एक शपथ–पत्र पेश कर जिसमें लिखा गया कि केवल हम दो ही वारिस है और कोई वारिस नहीं है बल्कि मृतक भोलाराम के दो लडके प्यारेलाल, तुलसी व तीन लडकिया है। तीनों लडकियों को छिपाया गया है इसलिये जो खातेदारी सायलान ने अपने नाम कराई है वह कतई गलत एवं अवैधानिक है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 [illegible] है। महज गैरसायला को धोखा देने की नियत से [illegible] उठाया है जिससे कि आराजीयात की खाते[illegible]नाम नहीं हो सके। मौके पर अलमशुहर गोला वाले खेत पर गैरसाय[illegible] का पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर कब्जा काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 का आंशिक भाग स्वीकार है जिसमें गैरसायला सायलान की बहन मानकर चले है इसलिये खातेदारी में जो विरासत का नामांतकरण खुला है उसमें कानूनी तौर पर बहन के नाम खातेदारी होना आवश्यक था। नामांतकरण सायलान ने पटवारी हल्का, तहसीलदार से साज कर चुपचाप व गोपनीय तरीका से एक गलत शपथ–पत्र पेश कर कि हम सायलान के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। नामांतकरण खुलवाया है।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायला मृतक भोलाराम की पुत्री है इसलिये मृतक भोलाराम की जमीन जायदाय में कानूनी तौर पर मृतक भोलाराम की उत्तराधिकारी होने के नाम खातेदारी का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। सारी बाते गलत व मनगंढत दर्ज की है। दिनांक 04.08.2013 को या कभी भी गैरसायला ने सायलान को कोई धमकी नहीं दी। जब गैरसायला का मौके पर कब्जा है तो धमकी देने वाली बात गलत है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 खाता संख्या 1073 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं गैरसायलान वकील द्वारा अपने बहस कथन में प्रकरण में प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुऐ, सायलान के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 खाता संख्या 1073 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में भूमि सा[illegible] रिकार्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 3623, 3626, 3652, 3653, 3654, 3658, 3713, 3714, 3715 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 06.08.2013 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested